No.20(1)/2008-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
*****

New Delhi the 30th June, 2011.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Sunderban Allowance to Central Government employees working in West Bengal.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's OM No.20(1)/97-E.II(B) dated 17th July,2001 on the subject cited above and to convey the sanction of the President for the continued grant of **Sunderban Allowance** at the existing rates (Based on the notional pay in pre-revised scales) to the Central Government employees posted in the **Sunderban areas** of West Bengal for a further period from **01-01-2003 to 31-08-2008** and at the revised rates (indicated in the Table below) from **01-09-2008 onwards** and upto the period for which the Government of West Bengal continues to pay this allowance to its employees, subject to the fulfillment of the existing terms and conditions in this regard.

Existing Rates (in Rupees)		**Revised Rates (in Rupees)**	
Pay Range (1)	Rate w.e.f. 01.08.1997 (In Rupees) (2)	Pay in the Pay Band (3)	Rate w.e.f. 01.09.2008 (4)
Below 3000	30	Below 5600	60
3000-4499	60	5600-8400	120
4500-5999	90	8401-11200	180
6000-9000	120	11201-16800	240

2. In case of those employees who have opted to retain the pre-revised scale of pay after the Sixth Pay Commission, their entitlement to the Sunderban Allowance would be determined with reference to pre-revised pay range indicated in column (1) of the table above and the rate prescribed in Column (2) will apply from 1.1.2003 to 31.8.2008 and that in column (4) of the table will apply w.e.f. 1.9.2008

3. In their application to employees serving in Indian Audit and Accounts Department, these orders issue in consultation with Comptroller and Auditor General of India.

4. Hindi Version of this OM is attached.

Madhulika Prasad

(Madhulika P. Sukul)
Joint Secretary to the Government of India.

To,

All Ministries/Departments of Government of India (as per standard distribution list).

Copy with spare copies forwarded to Comptroller and Auditor General of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

Chief Secretary, Govt. of West Bengal with a request to endorse a copy of any alteration/revision/amendment or discontinuance of this allowance in respect of State Govt. Employees.

सं.20(1)/2008- संस्था - II(ख)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- पश्चिम बंगाल में कार्यरत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सुंदरबन भत्ता।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 17 जुलाई, 2001 के का.ज्ञा.सं. 20(1)/97- संस्था - II(ख) का संदर्भ लेने तथा पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्रों में तैनात केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सुंदरबन भत्ता दिनाँक 01/01/2003 से 31/08/2008 की अवधि के लिए वर्तमान दरों (पूर्व-संशोधित वेतनमानों पर आधारित नोशनल वेतन) पर तथा 01/09/2008 से संशोधित दरों (नीचे दी गई तालिका के अनुसार) पर वर्तमान निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत, उस अवधि तक जब तक पश्चिम बंगाल सरकार अपने कर्मचारियों को यह भत्ता देना जारी रखती है, के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति सूचित करने का निदेश हुआ है:

वर्तमान दरें (रुपयों में)		संशोधित दरें (रुपयों में)	
वेतन श्रेणी (1)	01/08/1997 से प्रभावी दर (2)	वेतन बैंड में वेतन (3)	01/09/2008 से प्रभावी दर (4)
3000 से कम	30	5600 से कम	60
3000-4499	60	5600-8400	120
4500-5999	90	8401-11200	180
6000-9000	120	11201-16800	240

2. ऐसे कर्मचारी जिन्होने छठे वेतन आयोग के बाद, पूर्व-संशोधित वेतनमान के विकल्प का चयन किया है, उनके भत्ते का निर्धारण दिनांक 01-01-2003 से दिनांक 31-08-2008 तक ऊपर दर्शायी गई सारणी के स्तंभ (1) में दर्शाये गए पूर्व संशोधित वेतन मान एवं स्तम्भ (2) में दी गई दरों के अनुसार होगा, तथा संशोधित दरें जो की सारणी के स्तंभ (4) में दर्शायी गई हैं दिनांक 01-09-2008 से प्रभावी होंगी ।

3. भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

मधुलिका प्र...

(मधुलिका पी. सुकुल)
संयुक्त सचिव,भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रेषित।

मुख्य सचिव,पश्चिम बंगाल सरकार को इस अनुरोध के साथ कि वे राज्य सरकार के कर्मचारियों के संबंध में इस भत्ते में हुए किसी भी परिवर्तन/परिशोधन/संशोधन अथवा बंद करने संबंधी पत्र की प्रति संलग्न करें ।